2020/00049

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

आज्ञा – पत्र

उनवान

रमेश बनाम देवीलाल

किस्म मुकदमा धारा 223 मि. नं. 2020/00049 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री ओ.पी. मेहता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-2-2021	पत्रावली आर्ई कैम्प कोटा पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं है। अभिभाषक रेस्पोंडेंट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को बार-बार रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदमहाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	अदमहाजरी O.P. Mehta

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर ए ए ,कोटा

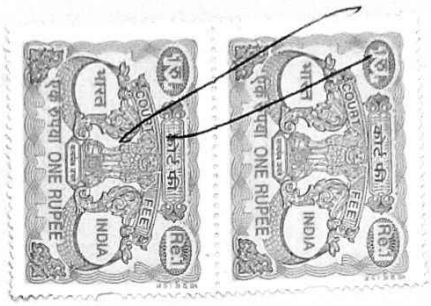

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)
16-3-2020

1. रमेंश पुत्र भरोसी बाई जाति बैरवा
2. खिलौना पुत्र बाबूलाल भॉड जाति भॉड
3. ओम प्रकाश पुत्र पहलवान जाति भॉड
4. भोजराज पुत्र मांगीलाल जाति एयरवाल
5. गुड्डूलाल पुत्र श्यामलाल जाति यादव (जाटव)
6. धनराज सुमन पुत्र बाबूलाल जाति माली
7. गोपाल भॉड पुत्र विश्राम जाति भॉड
8. संतरा पत्नी प्रहलाद जाति भॉड
9. लखन पुत्र खिलौना भॉड , जाति भॉड
10. विजय सिंह पुत्र शिवचरण
11. कमलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा
12. रामू पुत्र मोहनलाल शाक्यवाल जाति कोली
    निवासीगण कुन्जबिहार कॉलोनी अटरू रोड, बांरा राजस्थान
13. सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी अम्बेडकर सर्किल बांरा जिला बांरा

— अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति चमार (एयरवाल) निवासी खाजूरपुरी वार्ड बांरा जिला बांरा
2. महेन्द्र पुत्र उदल जाति मेंघवाल
3. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति जाटव
4. ओम पुत्र रामाअवतार योगी जाति नाथ

O.P. Mehta
17.3.20

16/3/20

5. बृजराज पुत्र छीतरनाथ जाति नाथ
6. सुशीला बाई पत्नी जोधराज पुत्री मांगीलाल बैरवा
7. मांगीलाल पुत्र बाबूलाल सुमन जाति माली
8. रोडू पुत्र किशोर जाति जाटव
9. श्याम पुत्र सीता बाई जाति मीणा
10. शिव प्रकाश पुत्र गोरधन जाति नाथ

निवासीगण कुन्जबिहार कॉलोनी अटरू रोड, बांरा राजस्थान

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.08.19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा

वाद संख्या 78/17 बउनवान देवलाल बनाम महेन्द्र

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करते हैः–

1. यह कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्तयोग्य है।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम सुसावन पटवार हल्का बांरा की आराजी संख्या 1014/748 रकबा 0.93 हैक्टर व खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हैक्टर, कुल 2 किता की 1.16 हैक्टर आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 1/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, राज. टीनेन्सी एक्ट अवैधानिक रूप से डिक्री कर अपीलान्ट / प्रतिवादीगण को बेदखली करने का आदेश व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

3. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी वकील की अन्डर टेकिंग के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 17.06.19 को एक तरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय एवं डिक्री जेरअपील पारित की है जो अवेधानिक है ,

16/3/20